प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांकः 07 फरवरी, 2024**

विषयः- **मैसर्स अन्जुम आबिद अली राइस मिल, ग्राम-कमुआ नगला, केमरी, विलासपुर, रामपुर स्थित राइस मिल इकाई की स्थापना हेतु उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 योजनान्तर्गत पूँजीगत अनुदान की धनराशि रू0-27.30 लाख (रूपया सत्ताईस लाख तीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-खा0प्र0मि0-1971/2023-24/1042, दिनांक-16.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2 उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-10 लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 हेतु शासनादेश संख्या-36/2023/406/58-2-2023-1712168, दिनांक 08.06.2023 द्वारा धनराशि रू0 4000.00 लाख अवमुक्त की गयी है, जिसमें 27-सब्सिडी मद में रू0 3866.00 लाख, शासनादेश संख्या-135/2023/1070/58-2-2023-300(09)/2023, दिनांकः 13.12.2023 द्वारा सब्सिडी मद में रू0-56.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-01/2024/1071/58-2-2023-1769214, दिनांकः 08.01.2024 द्वारा अनुपूरक मांग के माध्यम से सब्सिडी मद में रू0-5402.00 लाख की धनराशि आपके निवर्तन पर रखी गयी है।

3. शासनादेश संख्या-1255/58-2-2017-600(7)/2017टी0सी0, दिनांक-24.11.2017 द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेबल इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांकः 22.05.2023 में **मैसर्स अन्जुम आबिद अली राइस मिल, ग्राम-कमुआ नगला, केमरी, विलासपुर, रामपुर स्थित राइस मिल इकाई की स्थापना हेतु** उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत **पूँजीगत अनुदान** स्वीकृत किये जाने की संस्तुति/अनुमोदन प्रदान की गयी है।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं अभिलेखानुसार **मैसर्स अन्जुम आबिद अली राइस मिल, ग्राम-कमुआ नगला, केमरी, विलासपुर, रामपुर स्थित राइस मिल इकाई की स्थापना हेतु पूँजीगत अनुदान की धनराशि रू0-27.30 लाख (रूपया सत्ताईस लाख तीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के प्रावधानों एवं तत्संबंध में निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-36/2017/1343/58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक-21.12.2017 एवं शासनादेश संख्या-15/2019/205/58-2-2019-600(7)/2017, दिनांक-22.02.2019 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय।

(3) उक्त पूँजीगत अनुदान की संस्था के टर्मलोन खातें में निर्गत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(4) अनुदान हेतु स्वीकृत धनराशि जारी करने से पूर्व उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के दिशा-निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उद्यान

.....2/-